न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 60 / 2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2023 / 30

प्रार्थी :–		अप्रार्थीगण :–
लक्ष्मण कंवर पत्नी स्व. श्री हिम्मतसिंह, जाति राजपूत, निवासी सादडा, तहसील बाली, जिला पाली,	बनाम	1. शैतानसिंह पुत्र स्व. श्री सवाई सिंह, जाति राजपूत निवासी सादडा, तहसील बाली, जिला पाली राज. 2. ग्राम पंचायत लाटाडा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत लाटाड़ा, पंचायत समिति, बाली, जिला पाली राज.

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत लाटाडा प.स. बाली द्वारा मिसल संख्या 67 / 2002 प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 20.06.2002 व पट्टा संख्या 2756 को निरस्त करवाने बाबत्।

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी संख्या की ओर से अधिवक्ता श्री यशपालसिंह।
2. अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री समुद्रसिंह राजपुरोहित

–:निर्णयः–

दिनांकः 28.07.2025

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 के तहत ग्राम पंचायत लाटाडा प.स. बाली द्वारा मिसल संख्या 67 / 2002 प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 20.06.2002 व पट्टा संख्या 2756 को निरस्त करवाने बाबत् पेश की गई निगरानी याचिका दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

निगरानी याचिका के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया लक्ष्मण कंवर पत्नी स्व. श्री हिम्मतसिंह जाति राजपुत निवासी सादडा तहसील वाली, जिला पाली राज. की मूल निवासी है प्रार्थीया का पट्टाशुदा कब्जाशुदा स्वामित्व एवं आधिपत्य का रहवासीय मकान मय भूखण्ड ग्राम पंचायत सादडा में आये हुए है। प्रार्थीया के मकान मय भूखण्ड में आने जाने के मुख्य रास्ते एवं अपने स्वयं के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि में अप्रार्थीगण संख्या 01 ने अप्रार्थी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

संख्या 02 से मिलीभगत कर विधिविरुद्ध तरीके से अपने नाम से पट्टा जारी करवा दिया है तथा उसी पट्टे की आड में अप्रार्थीगण उक्त रास्ते एवं स्वामित्व की भूमि को बन्द करने एवं हडपने पर आमद है। अप्रार्थी ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव एक दिनांक 20.06.2002 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 2756 दिनांक 20.02.2002 रास्ते की भूमि एवं प्रार्थीया की स्वामित्व की भूमि का पट्टा होने के कारण निरस्त होने योग्य है, यह है कि अप्रार्थीगण संख्या 01 ने अप्रार्थीगण संख्या 02 सरपंच से मिलावट करके प्रार्थी के मकान भूखण्ड के उत्तर दिशा में रिक्त रास्ते एवं भूमि का पट्टा बना दिया जो इस निगरानी की विषयवस्तु है सम्पूर्ण स्थिति को स्पष्ट करने हेतु साथ नजरी नक्शा पेश किया जा रहा है जो इस निगरानी का अभिन्न अंग ही माना व समझा जावें। (यद्यपि आवेदक द्वारा याचिका के सलंग्न नजरी नक्शा प्रस्तुत नहीं किया गया)। यह कि अप्रार्थीगण संख्या 01 ने प्रार्थीया के मकान/भूखण्ड के उत्तर दिशा में रिक्त रास्ते की भूमि पर अवैध रुप से अतिक्रमण करने की कोशिश की एवं प्रार्थीया के मकान भूखण्ड का मुख्य दरवाजा वन्द करने की नियत से रास्ता रोका गया, तो अप्रार्थीगण ने अपने स्वयं के पक्ष में पट्टा जारी होना बताया तव प्रार्थीया को सर्वप्रथम जैर निगरानी पट्टे की जानकारी हुई तव प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण संख्या 02 ग्राम पंचायत से रास्ते की भूमि एवं अप्रार्थीया स्वामित्व एवं आधिपत्य भूमि का पट्टा अप्रार्थीगण संख्या 02 ग्राम पंचायत से पट्टे की नकल व मिसल प्राप्त करने हेतु आवेदन पेश किया परन्तु मिसल की प्रति ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं की सूचना दी गई।प्रार्थी द्वारा निम्नांकित आधार पर उक्त निगरानी याचिका प्रस्तुत की गई है:—

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

1. यह है कि ग्राम पंचायत को रास्ते की भूमि का पट्टा जारी करने की अधिकारिता नहीं है, अप्रार्थीगण संख्या 02 तत्कालीन सरपंच अप्रार्थीगण संख्या 01 के पक्ष में रास्तें की भूमि का पट्टा जारी करने में विधिक अधिकारिता होते उसके बावजुद फिर भी अपनी अधिकारिता से परे जाकर अप्रार्थीगण संख्या 01 के पक्ष में जैर निगरानी ग्रस्त पट्टा जारी किया गया जो निरस्त योग्य है।
2. यह है कि नियम 145(1) के तहत क्रय करने के लिये आवेदन पेश होने पर नियम 142(2) के तहत आवेदन के साथ मौका स्थल निरीक्षण व्यय पेटे 25/— रुपयें की राशि जमा करवायेगा तथा नियम 145(3) के तहत यदि आवेदन के साथ स्थल नक्शा सलंग्न नहीं किया तो आवेदन नक्शा तैयार करने के लिये 25/— रुपये जमा करवायेगा। ऐसे मामले में सचिव आवेदक की उपस्थिति में स्थल निरीक्षण के पश्चात स्थल नक्शा तैयार करेगा तत्पश्चात सचिव नियम 146 के तहत ऐसे आवेदक को प्रारुप 21 में एक रजिस्टर में दर्ज करेगा एवं फाईल करेगा जबकि उक्त मामले में न तो अप्रार्थीगण संख्या 01 ने प्रार्थना पत्र पेश किया व न ही अप्रार्थीगण संख्या 02 ने ऐसी कोई कार्यवाही अमल मे लाई। मात्र अप्रार्थीगण संख्या 02 ने अप्रार्थीगण संख्या

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

01 के साथ मिलीभगत कूटरचित तरीके से पट्टा 2756 जारी किया जो न तो ग्राम पंचायत में मिसल व न ही प्रार्थना पत्र, न ही मौका निरीक्षक, न ही कमेटी तथा न ही इश्तिहार, न ही अनापति प्रमाण पत्र इत्यादि निकालें। चोरी चुपके से पट्टा जारी किया गया जो निरस्त योग्य है।

3. यह है कि अप्रार्थीगण संख्या 01 द्वारा ग्राम पंचायत से किसी प्रकार का पट्टे हेतु आवेदन पेश नहीं किया गया तो पट्टा जारी कैसे कर सकता है। राजस्थान पंचायत राज नियम के अनुसार बिना आवेदन के पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है तथा उक्त प्रकरण मे तो पट्टे की मिसल भी नहीं मिली जिससे भी जैर निगरानी पट्टा निरस्त होने योग्य है।

4. यह है कि नियम 146 की पालना नहीं की गई, न कमेटी व मौके इश्तिहार निकाला जिससे भी जैर निगरानी पट्टा निरस्त होने योग्य है।

5. यह है कि जिस पट्टे की मिसल ही नही तो कैसे माना जा सकता है उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व नियमानुसार की कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

6. यह है कि अप्रार्थीगण संख्या 02 ग्राम पंचायत 2700 वर्गफीट तक ही पट्टा जारी कर सकती है, जबकि जैर निगरानीग्रस्त पट्टा संख्या 2756, 6300 वर्गफीट का पट्टा जारी किया गया जो अपनी अधिकारिता से कई गुना ज्यादा वर्गफीट का जारी किया जिससे भी जैर निगरानी पट्टा निरस्त होने योग्य है। अतः जैर निगरानी पट्टा निरस्त फरमावे।

काबिल अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 ने निगरानी याचिका का जवाब पेश कर निवेदन किया कि:—

1. प्रार्थना पत्र का पद संख्या 01 गलत होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 उत्तरदाता के पक्ष में उसके पुश्तैनी कब्जाशुदा भूमि का विधि सम्मत पट्टा जारी किया गया है तथा कदिम से उस पर पक्का निर्माण कार्य करवाया हुआ है। अप्रार्थी संख्या 01 उत्तरदाता द्वारा रास्ते की भूमि पर का पट्टा जारी नहीं करवाया गया है तथा न ही मौके पर किसी प्रकार का रास्ता था।

2. प्रार्थना पत्र का पद संख्या 02 गलत होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी संख्या 02 तथा ग्राम विकास अधिकारी द्वारा किसी प्रकार फर्जीवाडा और कूटरचना नहीं की गई ग्राम पंचायत द्वारा मौके के अनुसार ही पट्टा संख्या 2756 दिनांक 20.02.2002 को पंचायत राज अधिनियम की धारा 157 के तहत पट्टा जारी किया हुआ है जो विधि की पालना में जारी किया गया है। पट्टा संख्या 2756 दिनांक 20.02.2002 को

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

देखने मात्र से ज्ञात नहीं होता है कि पट्टे में कही पर कूटरचना की गई हो।प्रार्थीया द्वारा वर्णित उक्त पद निराधार और मनगढन्त है।

3. प्रार्थना पत्र का पद संख्या 03 गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीया द्वारा वर्णित कि उत्तर दिशा में रास्ते की भूमि का पट्टा जारी करने का कथन सिरे से खारिज है। अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा मौके की स्थिति देख कर एवं मौजिज गवाह की उपस्थिति में मौका देख कर ही पट्टा जारी करने की अनुशंषा की जाती है। प्रार्थीया द्वारा वर्णित गलत तथ्य वर्णित कर भ्रमित किया जा रहा है। जो सरासर गलत है।

4. प्रार्थना पत्र का पद संख्या 04 गलत होने से अस्वीकार है प्रार्थीया के मकान उत्तर दिशा में कोई रिक्त रास्ते की भूमि नही है न ही अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया गया है और न ही रास्ते को रोका गया है। प्रार्थीया काकोई उत्तर दिशा में दरवाजा नहीं है। यह है कि अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रार्थीया का दरवाजा बंद किया गया है या रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण किया गया है तो प्रार्थीया को सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना चाहिये था। प्रार्थीया द्वारा गलत और मनगढ़न्त तरीके से अप्रार्थी संख्या 01 को परेशान करने के उद्देश्य से ही यह निगरानी प्रस्तुत की गई है जो काबिल खारिज है। उक्त पट्टा वर्ष 2002 में जारी किया गया है तथा प्रार्थीया द्वारा 24–25 वर्ष बाद उक्त निगरानी याचिका प्रस्तुत की गई है जो मियाद बाहर होने से भी काबिल खारिज है। प्रार्थीया केवल और केवल अप्रार्थी संख्या 01 उत्तरदाता को परेशान करने के उददेश्य से ही यह निगरानी प्रस्तुत की है।

5. प्रार्थना पत्र का पद संख्या 05 गलत होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी संख्या 01 ने अप्रार्थी संख्या 02 तथा ग्राम विकास अधिकारी से किसी भी प्रकार से मिलावट नहीं की गई है ग्राम पंचायत लाटाड़ा द्वारा विधि सम्मत एवं कानूनी दायरे में रहकर ही उक्त पट्टा जारी किया है। अप्रार्थी संख्या 01 उत्तरदाता प्रार्थीया के आधिपत्य की भूमि को न तो हड़पने और अतिक्रमण करने पर किसी भी प्रकार से अमादा नहीं है और प्रार्थीया को लगता है कि रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण एवं प्रार्थीया की भूमि हड़पने की कोशिश अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा की जा रही है, तो उसके लिये सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना चाहिये।

काबिल अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 ने निगरानी याचिका के आधार का बिन्दुवार जवाब पेश कर निवेदन किया कि:–

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 60 / 2023

बिवान : लक्ष्मण कंवर बनाम शैतानसिंह व ग्राम पंचायत लाटाडा अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

1. प्रार्थना पत्र का पद संख्या 01 गलत होने से अस्वीकार है। उक्त पद तथ्यहीन होने से निराधार है। मौके पर किसी भी प्रकार का रास्ता दृष्टिगोचर नहीं होता है अप्रार्थी संख्या 01 का पट्टे की भूमि पर लगभग 40–50 पुश्तैनी कब्जा है। जहां पर कोई रास्ता नहीं है और न ही अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा नियमो को आड में रख कर रास्ते की भूमि का पट्टा जारी करवाया है।
2. प्रार्थना पत्र का पद संख्या 02 गलत होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 के कार्यालय में विधि सम्मत आवेदन पेश किया गया है जिसकी ग्राम पंचायत लाटाड़ा नियमानुसार कार्यवाही की गई है तथा नियमानुसार धारा 142(2) के तहत ग्राम पंचायट लाटाडा द्वारा कोर्ट फीस रुपये 10/– नक्शा फीस रुपये 25/– तथा मौका फीस रुपये 25/– रसीद संख्या 1035 दिनांक 31.05.2002 को जमा रसीद काटी गई है। नियमानुसार रजिस्टर में अंकित किया गया है। जिसमें किसी भी प्रकार की कूटरचना दृष्टिगत नहीं होती है। इस प्रकार जैर निगरानी पट्टा जारी करने में कोई अनियमितता नहीं होने से निगरानी काबिल खारिज है।
3. प्रार्थनापत्र का पद संख्या 03 गलत होने से अस्वीकार है। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम के तहत बने नियमों के अनुसार पंचायत द्वारा जो पट्टा जैर निगरानी जारी किया गया है वह कानून की पूरी प्रक्रिया अपनाते हुए जारी किया गया है,जिसमें किसी नियम की अवहेलना नहीं की गई है। पंचायत के प्रस्ताव संख्या/संकल्प संख्या 01 दिनांक 20.06.2002 को पंचायत द्वारा मंजूर किया गया है इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा नियमों के तहत जारी किया हुआ है जिससे भी जैर निगरानी काबिल खारिज योग्य है।
4. प्रार्थना पत्र का पद संख्या 04 गलत होने से अस्वीकार है। ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत सार्वजनिक स्थल पर दो मौजिज व्यक्तियों की उपस्थिति में इश्तिहार चस्पा किये गये है तथा पंचायत राज अधिनियम में निर्धारित पट्टा जारी करने का शुल्क लिया गया जिसमे कोर्ट फीस रुपये 10/– नक्शा फीस रुपये 25/– तथा मौका फीस रुपये 25/– का रसीद संख्या 1035 दिनांक 31.05.2002 को जमा किया गया है। जिससे उक्त पड निराधार होने से जैर पट्टा निगरानी खारिज किये जाने योग्य है।
5. प्रार्थना पत्र का पद संख्या 05 सरासर गलत होने से अस्वीकार है। पट्टा मिसल ग्राम पंचायत लाटाडा के कार्यालय में उपलब्ध है जो पट्टा मिसल संख्या 67/2002 दायरा दिनांक 20.02.2002 में पूर्ण प्रक्रिया अपना कर उक्त पट्टा संख्या 2756 जारी किया गया है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 60/2023
वान : लक्ष्मण कंवर बनाम शैतानसिंह व ग्राम पंचायत लाटाडा अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

6. प्रार्थना पत्र का पद संख्या 05 गलत होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी संख्या 01 को उक्त पट्टा पुराने गृहों का विनियमितिकरण का पट्टा जारी किया गया है। जबकि पंचायती राज अधिनियम के नियम 157 में कही पर यह नही लिखा गया है कि ग्राम पंचायत 2700 वर्गफीट से अधिक का पट्टा जारी नहीं कर सकती है। जिससे भी जैर निगरानी खारिज किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 ने आपत्ति एवं विशेष कथन कर निवेदन किया कि:—

1. यह है कि उक्त पट्टा संख्या 2756 दिनांक 20.06.2002 ग्राम पंचायत लाटाडा द्वारा उपपंजीयन कार्यालय बाली में पंजीबद्ध दिनांक 19.06.2004 को करवा दिया है जो पट्टा पुस्तक संख्या 01, जिल्द संख्या 06 में पृष्ठ संख्या 48 क्रम संख्या 2004000748 पर दिनांक 19.06.2004 को उपपंजीयन कार्यालय बाली में पंजीबद्ध है। इस प्रकार पंजीबद्ध पट्टा को चुनौति देने बाबत इस न्यायालय में निगरानी पेश की है जो चलने योग्य नहीं है। पट्टा रजिस्टर्ड होने के बाद पट्टे को निरस्त करवाने का क्षेत्राधिकार कानूनन सिविल न्यायालय को चला जाता है। जिस कारण रजिस्टर्ड शुदा पट्टा को खारिज करवाने हेतु पेश की गई उपरोक्त निगरानी याचिका काबिल खारिज योग्य है।
2. यह है कि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त निगरानी स्पष्ट रुप से मियाद बाहर होने से काबिल खारिज के है। क्यों कि पट्टा जारी होने की जानकारी प्रार्थीया को पट्टा जारी होने के समय से ही है।
3. यह है कि प्रार्थीया द्वारा उपरोक्त निगरानी में रास्ते की भूमि अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण कर रास्ते का अवरुद्ध करने तथा कूटरचित एवं फर्जी तरीके से पट्टा जारी किये जाने का उल्लेख किया गया है, जो सरासर गलत आरोप है तथा यदि रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण कर रास्ते को अवरुद्ध करने तथा कूटरचित एवं फर्जी तरीके से पट्टा जारी करने की निगरानी पेश की है जो चलने योग्य नहीं है।
4. यह है कि प्रार्थीया के पति स्व. हिम्मतसिंह अप्रार्थी भगवतसिंह और शैतानसिंह तीनो ही स्व. सवाई सिंह के पुत्र है तथा तीनो ही स्व. सवाई सिंह की पुश्तैनी कब्जा शुदा आवासीय सम्पति का बंण्टवाडा कर मौके पर अपने हिस्से पर काबिज है तथा आवासीय मकान बने हुए है। प्रार्थीया और अप्रार्थी भगवतसिंह और शैतानसिंह के मध्य आपसी मनमुटाव होने से यह निगरानी, अप्रार्थी को केवल परेशान करने के उदेश्य से प्रस्तुत की है जो काबिल खारिज योग्य है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

अतः निगरानी का जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया द्वारा उपरोक्त निगरानी पेश करने का कानूनन कोई आधार, हक व अधिकार नही है प्रार्थीया ने सरासर गलत एवं झूठे तथ्यों के आधार पर निगरानी पेश की है जो मय खर्चा खारिज फरमाई जाए।

अप्रार्थी संख्या दो सरपंच बावजूद सूचना अनुपस्थित होने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही प्रभाव में लाई जाती है। प्रकरण से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड तलब करने पर ग्राम पंचायत लाटाड़ा द्वारा पत्र दिनांक 04.03.2024 से अवगत कराया गया कि पट्टा बुक मय मूल पट्टा के अतिरिक्त अन्य रिकॉर्ड यथा बैठक कार्यवाही रजिस्टर तथा मूल मिसल ग्राम पंचायत रिकॉर्ड में उपलब्ध नही है।

पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से बहस सुनने का निश्चय किया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

काबिल अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष ने वक्त बहस निवेदन किया कि ग्राम पंचायत लाटाड़ा द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के पक्ष में निष्पादित आलोच्य भूमि विक्रय विलेख रास्ते की भूमि तथा प्रार्थीया के स्वामित्वाधीन भूमि के सम्बन्ध में जारी किया गया है, जिसका ग्राम पंचायत को कोई क्षेत्राधिकार नही है। यह भी कि आलोच्य पट्टा जारी करने में ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के प्रक्रियात्मक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। यह भी कि आलोच्य पट्टा 300 वर्गगज से अधिक क्षेत्रफल का जारी किया गया है, जिसका ग्राम पंचायत को अधिकार ही नही था। अतः जैर निगरानी आलोच्य पट्टे को निरस्त फरमाया जाए।

इसके प्रत्युतर में काबिल अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या एक ने वक्त बहस निवेदन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि में स्थित प्रार्थी के पुराने घर का विधिवत पट्टा जारी किया गया है। प्रार्थीया का पति तथा अप्रार्थी सगे भाई है तथा मौके पर सभी के अलग अलग मकान निर्मित है। प्रार्थीया ने रास्ते की भूमि होने का काल्पनिक कथन कर आधारहीन निगरानी पेश की है, जो काबिल खारिज है। यह भी, कि प्रार्थी का पुराना व पुश्तैनी कब्जा होने से 300 वर्गगज की क्षेत्रफल सम्बन्धि सीमा हस्तगत प्रकरण में लागू नही होती है। अतः निगरानी सारहीन होने से खारिज फरमाई जाए।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुना जाकर तर्कों पर मनन किया गया तथा याचिका, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं ग्राम पंचायत द्वारा प्रेषित आलोच्य भूमि विक्रय विलेख की मूल कार्यालय प्रति का अवलोकन किया गया।

प्रार्थीया ने आलोच्य भूमि विक्रय विलेख संख्या 2756 के विरुद्ध मूल उजर–ऐतराज यह लिया है कि उक्त विलेख रास्ते की भूमि तथा प्रार्थीया के स्वामित्व की भूमि से सम्बन्धित है, न कि आबादी भूमि से और इस कारण ग्राम पंचायत द्वारा क्षेत्राधिकार से परे जाकर

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

Scanned with OKEN Scanner

आलोच्य भूमि विक्रय विलेख निष्पादित किया गया है। किन्तु प्रार्थीया द्वारा हस्तगत निगरानी याचिका के सलंग्न अथवा सुनवाई के किसी भी स्तर पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य, यथा स्वयं के भूखण्ड का पट्टा, पड़ौस में अवस्थित किसी भूखण्ड का पट्टा, फोटोग्राफ अथवा नज़री नक्शा तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो उनके उपरोक्त आक्षेप की पुष्टि करने में सहायक हो। मात्र निगरानी याचिका में अंकन कर दिये जाने से यह प्रमाणित नहीं माना जा सकता कि आलोच्य भूमि विक्रय विलेख रास्ते की भूमि से सम्बन्धित है तथा प्रार्थीया के आवागमन को बाधित करता है। यह दायित्व प्रार्थी/याचिकाकर्ता पर ही अधिरोपित होता है कि याचिका पत्र में अंकित अपने कथनों को दस्तावेजी साक्ष्यों से न्यायालय के समक्ष प्रमाणित सिद्ध करे और हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीया ऐसा करने में असफल रही हैं।

प्रार्थीया ने ज़ैर निगरानी आलोच्य पट्टे को इस आधार पर भी चुनौति दी है कि ग्राम पंचायत ने 300 वर्गगज की सीमा का उल्लंघन करते हुए 6300 वर्गफीट का पट्टा जारी कर क्षेत्राधिकार सम्बन्धि त्रुटि कारित करते हुए अवैध पट्टा जारी किया है।

इस सम्बन्ध में आलोच्य भूमि विक्रय विलेख की मूल कार्यालय प्रति का अवलोकन किया गया। आलोच्य पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 (ख) अर्थात् पुराने गृहों के विनियमितिकरण के रुप में मिसल संख्या 67/2002 दायर दिनांक 20.02.2002 (जारी करने की दिनांक स्पष्ट नहीं) में ग्राम पंचायत लाटाड़ा के संकल्प संख्या 01 दिनांक 20.06.2002 के अनुसरण में निष्पादित किया गया है।

प्रश्न यह है कि क्या ग्राम पंचायत द्वारा पारित उक्त संकल्प संख्या 1 दिनांक 20.06.2002 के समय ग्राम पंचायत को पूर्वोक्त नियम 157 के अन्तर्गत 300 वर्गगज से अधिक का पट्टा जारी करने का क्षेत्राधिकार था अथवा नहीं?

उक्त प्रश्न के सम्बन्ध में वैधानिक स्थिति यह है कि राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 अधिसूचित होने तथा उपरोक्त संकल्प संख्या 01 पारित करने की तिथि दिनांक 20.06.2002 को भी नियम 157 में 300 वर्गगज की क्षेत्रफल सम्बन्धि सीमा उपबन्धित नहीं थी। उपरोक्त 300 वर्गगज की क्षेत्रफल सम्बन्धि उपबन्ध विभागीय अधिसूचना एफ 4/पी सी/प रा वि/आबादी पट्टा/2009/ 96 दिनांक 06.01.2010 तथा राजस्थान पंचायतीराज (द्वितीय संशोधन) नियम 2013, जो कि राज. राजपत्र में दिनांक 19.02.2013 को प्रकाशित किये गए, से प्रभाव में आए है। इससे पूर्व नियम 157 में अधिकतम क्षेत्रफल सम्बन्धि कोई सीमा प्रभाव में नहीं थी।

अतः प्रार्थीया का यह तर्क भी स्वीकार योग्य नहीं है कि आलोच्य प्रकरण में अधिकतम क्षेत्रफल सीमा का उल्लंघन करते हुए अवैध पट्टा जारी किया गया है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थीया ने निगरानी याचिका में यह तर्क भी प्रस्तुत किया है कि चूंकि आलोच्य पट्टे से सम्बन्धित रिकॉर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है, अतः यह सिद्ध है कि प्रक्रिया की पालना किए बिना फर्जी तरीके से पट्टा जारी किया गया है। सचिव ग्राम पंचायत लाटाड़ा द्वारा ज़रिए पत्र दिनांक 04.03.2024 न्यायालय हाजा को आलोच्य पट्टे की मूल कार्यालय प्रति मय पट्टा बुक उपलब्ध करवाते हुए यह अवगत कराया गया कि बैठक कार्यवाही रजिस्टर तथा मूल मिसल पंचायत रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है। किन्तु अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा अपने जवाबपत्र के साथ दो रसीदों की प्रतियां पेश की है, जिनसे स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी द्वारा आवेदन शुल्क तथा पंचायत द्वारा निर्धारित पट्टा शुल्क राशि 200/– मात्र जिसका आलोच्य पट्टे पर अंकन भी है, ग्राम पंचायत में जमा करवाया गया था।

इस प्रकार हस्तगत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 में अंकित आक्षेप सिद्ध करने में याचिकाकर्ता असफल रही है। अतः हस्तगत निगरानी दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव में खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक **28.07.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया। प्रकरण से सम्बन्धित मूल पट्टा बुक ग्राम पंचायत को पुनः लौटाई जाए।

(शैलेन्द्र सिंह)
आर.ए.एस.
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
बाली

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

Scanned with OKEN Scanner